Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग का ब्लॉक समन्वयक 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 नवम्बर, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग राजगढ़, जिला चूरू को परिवादी से **8 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की गई पोषाहार आपूर्ति के बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग राजगढ़, जिला चूरू द्वारा कुल बकाया भुगतान राशि के 20 प्रतिशत कमीशन के रूप में **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार बिश्नोई** के निर्देशन में एसीबी चूरू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हीरालाल निवासी रामपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरू हाल ब्लॉक समन्वयक, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग राजगढ़, जिला चूरू को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशी शिकायत से पूर्व ही परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।